राजस्थान–सरकार
वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांक : 14.08.2013

अधिसूचना

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(17)वित्त/कर/2010–25 दिनांक 29.05.2013 में निम्न संशोधन करती हैं, अर्थात :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में पाली जिले से सम्बन्धित क्रम संख्या 25 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति "(i) उप रजिस्ट्रार, पाली", को अभिव्यक्ति "(i-a) उप–रजिस्ट्रार, पाली–प्रथम, (i-b) उप–रजिस्ट्रार, पाली द्वितीय" से प्रतिस्थापित किया जावेगा।

(सं.एफ.2(17)वित्त/कर/10–60)
राज्यपाल के आदेश से,

ह0/
(अपूर्व जोशी)
शासन उप सचिव, वित्त (राजस्व)

क्रमांक :– एफ–7(37)जन/2013/पार्ट–I 15972–16431 दिनांक : 2·9·13

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
5. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त–भवन, जयपुर ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
9. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
10. समस्त उप पंजीयकगण (पूर्णकालीन एवं पदेन), राजस्थान को पालनार्थ।
11. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
12. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
13. उप निदेशक (कम्प्युटर) मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट **www.rajstamps.gov.in** पर अपलोड कराने हेतु।
14. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
15. निजी–सचिव, महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक।
16. प्रभारी संस्थापन शाखा एवं लेखा शाखा (बजट) को भेजकर लेख है कि उप पंजीयक, पाली द्वितीय कार्यालय के लिये पदों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त करने की कार्यवाही करें।

अतिरिक्त महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान अजमेर